22 लाख के सामान सहित चोर गिरफ्तार

▸ कोहेफिजा थाना पुलिस ने की बरामदगी

भोपाल, 08 नवंबर. कोहेफिजा थाना पुलिस ने शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 22 लाख रूपये कीमती मशरूका भी बरामद किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर को फरियादी कमाल उद्दीन निवासी फिजा पैलेश रिगालिया हाईट्स ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को बताया था कि जब वह अपने बेटे की बारात के लिए घर पर ताला लगाकर गया था, तब कोई अज्ञात चोर घर में घुसकर घर से सोने, बेशकीमती हीरा पन्ना जड़ित ज्वैलरी और नकदी ले गया.

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शरू की. घटना स्थल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर पुलिस ने संदेही आरोपी की पहचान की. लक्ष्मी टॉकीज के पास रहने वाले फरहान नाम के संदेही से पुलिस ने पूछताछ की. फरहान ने पचोरी की घटना को स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी गया सामान बरामद किया.

मॉपअप राउंड में हुए फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज, दो आरोपी छात्रों से पुलिस ने की पूछताछ

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 08 नवंबर. नीट यूजी 2025 के मॉपअप राउंड में हुए फर्जीवाड़े में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई. मिली जानकारी के अनुसार कोहे

फिजा पुलिस ने मामले में दो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है. फिलहाल दोनों आरोपी छात्रों से पूछताछ जारी है. बता दें कि मामले में लगातार शिकायतें सामने आने के बाद हुई जांच में दो उम्मीदवार फर्जी पाए गए. इनका मूल निवासी प्रमाण पत्र लोकसेवा पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा था. पूर्व में सामने आए 14 संदिग्ध रजिस्ट्रेशन की जांच में तीन उम्मीदवारों के दस्तावेज गलत पाए गए थे.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फर्जीवाड़े मामले में अब तक पांच उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा चुका है. चिकित्सा शिक्षा संचालनालय को शिकायतें पूर्व में मिलीं थी. उम्मीदवारों एकता यादव, आलोक गुप्ता और चंदन गुप्ता के नाम के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे.

एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रहे दिग्विजय

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 नवंबर. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर एक बार फिर जनता के बीच झूठ और भ्रम फैलने में लगे हैं. दिग्विजय सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा मतदाता के एसआईआर और नागरिकता को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार हैं. कांग्रेस नेता वोट बैंक की राजनीति के चलते पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं.

खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा किसी भी व्यक्ति के अधिकार छीनने के पूरी तरह से खिलाफ है. चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की यह प्रक्रिया देश में पहली बार नहीं की जा रही है. कांग्रेस के शासनकाल में भी चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, तब कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया का कभी विरोध नहीं किया. अब कांग्रेस जनता को भ्रमित करने और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए निराधार आरोप लगा रही है. खण्डेलवाल ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट या फर्जी नाम हटाया जाना चाहिए. चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनाव कराने के लिए नियमों के तहत एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चलाई जा रही है. एसआईआर के तहत मृत, डुप्लीकेट या फर्जी नामों को हटाता है ताकि लोकतंत्र मजबूत बने. हर नागरिक को अपने नाम के जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है. इसमें न तो भाजपा का कोई हस्तक्षेप है, न ही सरकार की कोई भूमिका. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का यह कहना कि 99 प्रतिशत भारतीयों के पास नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं है. यह आरोप पूरी तरह गलत और भ्रामक है.

डेढ़ करोड़ नाम काटने का दावा गलत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मप्र में डेढ़ करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह तथ्यों से परे है. भाजपा किसी भी नागरिक के अधिकार छीनने के खिलाफ है. कांग्रेस को अपने घटते जनाधार का डर है, इसलिए वह चुनावी प्रक्रिया पर झूठे आरोप लगा कर जनता में असुरक्षा और अविश्वास का माहौल बनाना चाहती है. दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे नेता बार-बार झूठ बोलकर चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं. राहुल गांधी हर चुनाव या संसद सत्र के दौरान वे विदेश चले जाते हैं और वहीं से फर्जी एजेंडा तैयार करते हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वयं यह मान चुके हैं कि पार्टी की हार की असली वजह उसके अपने नेता हैं, न कि चुनाव आयोग. भाजपा ने लोकतंत्र का सम्मान किया है.

रेलवे ने किया 31 मिलियन टन माल लदान

▸ गतवर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि

भोपाल,08 नवम्बर. पश्चिम मध्य रेलवे ने लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस वित्तीय वर्ष के सात माह में माल लदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है.

महाप्रबंधक के सतत मॉनिटरिंग और सभी मंडलों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप रेलवे ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच कुल 31.46 मिलियन टन माल लदान किया है, जो गत वर्ष की समान अवधि के 29.48 मिलियन टन की तुलना में 6.71 प्रतिशत अधिक है.

पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने कहा है कि माल लदान में निरंतर वृद्धि के लिए सुधारात्मक उपायों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. लक्ष्य है कि आगामी महीनों में भी रेलवे की कार्यक्षमता और माल यातायात दोनों में स्थायी बढ़ोतरी दर्ज की जाए.

फ्रेट लोडिंग में निरंतर वृद्धि

पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों में फ्रेट लोडिंग बढ़ाने के उद्देश्य से वाणिज्य और परिचालन विभाग द्वारा लगातार रणनीतिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं. अक्टूबर 2025 में अकेले 4.34 मिलियन टन माल लोड किया गया, जो कि रेल प्रशासन की दक्षता और सतत निगरानी का परिणाम है.

माल यातायात बढ़ाने के प्रमुख प्रयास

रेलवे प्रशासन ने माल यातायात में वृद्धि और समय की बचत के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं नई रेल लाइन, दोहरीकरण और तिहरीकरण परियोजनाओं को गति दी जा रही है. मालगाड़ियों की औसत गति में वृद्धि कर परिचालन क्षमता बढ़ाई गई है. गुड्स टर्मिनल की वर्किंग में सुधार और डिटेंशन समय घटाने से लोडिंग में तेजी आई है. राउंड द क्लॉक (24 घंटे) लोडिंग-अनलोडिंग व्यवस्था लागू की गई है. नए माल गोदामों का विकास और उन्नयन कार्य प्रगति पर है. गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और साइडिंग्स के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

सायबर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी

भोपाल. सायबर सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है. जारी एडवाइजरी के अनुसार समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हाल ही में गुजरात के राजकोट स्थित एक मैटरनिटी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को हैक कर महिलाओं के अत्यंत निजी और संवेदनशील वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें इंटरनेट पर वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया था. यह घटना दर्शाती है कि हमारे घरों, दुकानों, अस्पतालों और कार्यालयों में लगे सुरक्षा कैमरे सायबर अपराधियों के लिए जासूसी का एक आसान जरिया बन सकते हैं. किसी भी प्रकार के सायबर अपराध की आशंका होने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए, सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या पर ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर 9479990636 शिकायत करें.

भोपाल-इंदौर में तीव्र शीत लहर का असर

भोपाल, 08 नवम्बर. प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है. पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यप्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का असर बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार सीहोर और रीवा जिलों में शीत लहर, जबकि भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में तीव्र शीत लहर का प्रभाव देखा गया है. पिछले 24 घंटों में शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जबकि अन्य संभागों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 3.2 से 3.4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा. वहीं, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से 1.6 से 2.7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया. भोपाल, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान 2.1 से 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा. इनमें भोपाल और उज्जैन संभागों में तापमान सामान्य से 5.2 से 7.4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा.

समाधान योजना : 4 हजार 668 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन

भोपाल, 08 नवंबर. पिछले कई महीनों से परेशान भोपाल के खेजड़ा गांव की रहने सुनीता विश्वकर्मा के चेहरे की खुशी उस समय लौट आई, जब वह बिजली कार्यालय पहुंचीं और उन्हें बताया कि यदि वे एकमुश्त बकाया बिजली बिल जमा कर देती हैं तो उन्हें 4 हजार 549 रुपये का लाभ तो होगा, साथ ही उनके घर की कटी हुई बिजली भी जोड़ दी जाएगी. यह सब सरकार की समाधान योजना के कारण हो रहा है. इतना सुनते ही सुनीता बकाया बिल भरने को तैयार हो गई. बताया गया कि इनका कुल बकाया बिल 21 हजार 140 रुपये था, जिसमें से उन्हें 16 हजार 591 रूपए ही जमा करना पड़े. इस तरह से इन्हें कुल 4 हजार 549 रुपये का फायदा हुआ.

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362 266। कॉर्पोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400 063, महाराष्ट्र।

कब्जे की सूचना [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 (1) देखें]

दिनांक 11.03.2024 की विलय योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच विलय के कारण, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण - अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, नीचे अनुसूची-ए में उल्लिखित बंधक संपत्ति के संबंध में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सभी SARFAESI कार्यवाइयाँ, विलयित कंपनी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो जाती हैं। तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के नियम 3 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित एक मांग नोटिस जारी करते हुए, आपसे उधारकर्ता होने के नाते (नीचे दिए गए नाम और पते) उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं और उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं, विशेष रूप से और आम जनता को, एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन, नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्र.	उधारकर्ता(ओ) का नाम	मांग नोटिस की तारीख और ओ/एस राशि।	अचल संपत्ति का विवरण (बंधक संपत्ति)	कब्जे की तारीख
1.	1. मेसर्स लकी एजेंसी, इसके मालिक श्री सफीर कुरैशी के माध्यम से, 2. श्री सफीर कुरैशी, 3. श्री सोहेल कुरैशी, पुत्र एस.एन. कुरैशी 4. रुबीना सुल्तान, पत्नी सोहेल कुरैशी LAN: ABBHOSTS000000667165	डीएन दिनांकः 08.08.2025 रु. 21,71,201.66/- 07.08.2025 तक	वाणिज्यिक सह आवासीय भवन, जिसका क्षेत्रफल 1058.00 वर्ग फुट है, रेंज चौराहा से शिवाजी चौक तक, नगर निगम वार्ड क्रमांक 13, ग्राम शेरपुरा, बैरसिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः मुख्य सड़क, पश्चिमः गली, उत्तरः श्री हबी शेर का मकान, दक्षिणः श्री दामोदर प्रसाद का मकान।	04.11.2025 (प्रतीकात्मक अधिकार)

स्थानः भोपाल, मध्य प्रदेश
दिनांकः 09.11.2025

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

व्यापारी का रुपयों से भरा बैग चोरी

भोपाल. हनुमानगंज थाना क्षेत्र स्थित एक व्यापारी का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया. व्यापारी रिक्की वलेचानी ने बताया कि वह अपनी स्कूटी में बैग रख कर दुकान का ताला चेक कर रहे थे. इस दौरान वह अपनी स्कूटी के पावदान के पास रोज की तरह अपना रुपये और कागजात से भरा बैग रखे थे, तभी एक अज्ञात चोर ने मौका पाकर उनका बैग चोरी कर लिया. घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई. व्यापारी ने बताया है कि बैग में गल्ले के करीब एक लाख रुपए और जरूरी कागजात मौजूद थे.

गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी

भोपाल. क्राइम ब्रांच ने दो गांजा तस्कर महिलाओं को गिरफ्तार किया है, उनके पास से डेढ़ लाख का माल बरामद किया है. एमपी नगर जोन 1 में दो महिलाए अपने पास रखे थैलों में मादक पदार्थ गांजा होने की जानकारी मिली थी. थाना में बैग चेक करने पर 5 किलो से अधिक का अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसे जब्त किया गया. आरोपी महिलाओं की पहचान सीता पत्नी सच्चू उम्र 45 साल और सौदा बाई पत्नी धनीराम उम्र उम्र 50 साल निवासी अर्जुन नगर झुग्गी औबेदुल्लागंज रायसेन के रूप में हुई है.

मारपीट के मामले में फरार आरोपी धराया

भोपाल, 08 नवंबर. शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने कई सालों से फरारवारंटी को गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में स्थाई वारंट जारी था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वारंटी सुनील डोमाने (47) निवासी ईदगाह हिल्स के आष्ठा जिला सीहोर में होने की सूचना मिली. आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम लोकेशन पर भेजी गई. आरोपी को पकड़कर पुलिस ने कोर्ट में भी पेश किया.

नाबालिग को तलाशा

भोपाल, 08 नवंबर. शाहजहांनाबाद थाना में वाजपेई नगर निवासी महिला ने अपनी 15 साल की बच्ची की बिना बताए घर से चले जाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने कुछ ही घंटो में नाबालिग की तलाश पूरी कर परिजनों को सौंप दिया.

निर्देशात्मक अधिसूचना

वर्ष 2025-2026 के लिए सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत भर्ती

रोजगार अधिसूचना सं. 02/2025

खुलने की तिथि: 20.11.2025 **बंद होने की तिथि: 19.12.2025 (17.30 बजे)**

इस अधिसूचना में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्तर-2 (ग्रेड पे-1900/-) में निम्नलिखित पदों के लिए सांस्कृतिक कोटा के तहत भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र. सं.	सांस्कृतिक प्रतिभा (विषय/संकाय)	पदों की संख्या
1	गायक (शास्त्रीय/सुगम शास्त्रीय)	01
2	वाद्य कलाकार (सैक्सोफोन)	01

1. योग्यताएं: (ए) अनिवार्य: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

(i) एनटीपीसी कटेगरीज के लिए कुल मिलाकर 50% से कम नही अंकों के साथ 12वीं (+2 चरण) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए 50% अंक आवश्यक नहीं हैं और उन उम्मीदवारों के मामले में जिनके पास आवश्यक न्यूनतम योग्यता से अधिक योग्यता है।

या

तकनीकी कटेगरी के लिए एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा अनुमोदित मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स पूरा किया हुआ एक्ट अप्रेंटिस।

या

तकनीकी कटेगरीज के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई।

आवेदन जमा करने की तिथि तक उम्मीदवारों के पास अपेक्षित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। जो उम्मीदवार अंतिम परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं या उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं।

नोट: यदि किसी व्यक्ति को क्लर्क-सह-टाइपिस्ट की कटेगरी में नियुक्त किया जाता है तो उसे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग दक्षता हासिल करनी होगी और तब तक इस कटेगरी में उनकी नियुक्ति अनंतिम रहेगी।

(ii) सांस्कृतिक प्रतिभा की प्रासंगिक संकाय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, जिसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अधिसूचना जारी की गई हो।

(बी) वांछनीय:

(i) अनुप्रयुक्त विषय के क्षेत्र में अनुभव तथा ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन आदि पर दिया गया प्रदर्शन।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर जीते गये पुरस्कार/पारिताषिक।

(iii) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत/नृत्य/नाटक/वाद्ययंत्र आदि में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।

2। (ए) आयु सीमा: (01.01.2026 को आयु)

अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	एससी/एसटी
18 से 30 वर्ष	18 से 33 वर्ष	18 से 35 वर्ष

जन्मतिथि के प्रमाण के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र की प्रति, या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2। आवेदन कैसे करें: पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को दिये गये आवेदक प्रारूपो के अनुसार आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र को अभ्यर्थी **अनुलग्नक-ए** में अच्छी गुणवत्ता वाले A-4 आकार के सादे कागज पर स्वयं की लिखावट में, **विधिवत स्व-सत्यापित, बिना कोई विग, टोपी या रंगीन चशमा पहने** तीन हाल के (पिछले दो महीनों के भीतर लिए गये) **पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ** के साथ सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती), प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी- 781 011, जिला कामरूप (मेट्रो), असम के पते पर साधारण डाक से भेजा जाना चाहिए, आवेदन पत्र को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी के भर्ती सेक्शन में रखे गये आवेदन बॉक्स में हाथों हाथ डाला जाना चाहिए। आवेदन पत्र **19.12.2025** को 17.30 बजे तक या इससे पहले तक उचित पते पर पहुंच जाना चाहिए। (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लाहौल और स्पीति जिले, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पांगी उप-मंडल, लक्षद्वीप और विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए अंतिम तिथि **29.12.2025** है)। आवेदन वाले लिफाफे के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "**वर्ष 2025-26 के लिए सांस्कृतिक कोटा के तहत आवेदन, ई. एन. संख्या 02/2025, ग्रेड पे - 1900/-, विषय .... और समुदाय...................................**" लिखा होना चाहिए।

नियम एवं शर्तें, आवेदन प्रारूप, परीक्षा शुल्क, चयन का तरीका आदि की विस्तृत जानकारी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात *www.nfr.indianrailways.gov.in. > General Info > Recruitment Notification (Sports, Scouts & Guides and Cultural)* से डाउनलोड किया जा सकता है और रोजगार समाचार दिनांक 22-11-2025 में देखा जा सकता है।

महाप्रबंधक (पी), मालीगांव, गुवाहाटी-11

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

वर्ष 2025-26 के लिए

एससी तथा अन्य लाभवंचित समूहों के छात्रों हेतु

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की घोषणा करता है।

घटक 1: एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
• एससी वर्ग से संबंधित छात्र • माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय **2.50** लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए	• मान्यता प्राप्त विद्यालयों के **कक्षा 9 तथा कक्षा 10** में अध्ययनरत छात्र • लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा • सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	• प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए **3500/-** रुपए और हॉस्टलर के लिए **7000/-** रुपए का अकादमिक भत्ता • दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए **10%** अतिरिक्त भत्ता

घटक 2: अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
• छात्र जिनके माता-पिता/ अभिभावक अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत हैं • कोई आय सीमा पात्रता नहीं है	• मान्यता प्राप्त विद्यालयों के **कक्षा 1 से कक्षा 10** में अध्ययनरत छात्र • लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा • सबसे गरीब परिवारों के आवेदको को प्राथमिकता	• प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए **3500/-** रुपए और हॉस्टलर के लिए **8000/-** रुपए का अकादमिक भत्ता • दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए **10%** अतिरिक्त भत्ता

• छात्र के पास वैध **मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।**

• योजना के दिशा-निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।

https://socialjustice.gov.in/schemes/23

योजना के दिशा-निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन करें

cbc38101/11/0029/2526